भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
48, विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग,
निष्ठा भवन, मुंबई - 400 020.
Tel: 022-22004510, Fax: 022- 22004693.
E-mail otxccotton@gmail.com
www.texmin.nic.in, www.txcindia.gov.in

*********************************************

सं.1/20/2015-16/एमएसपी/रूई/116—138 दिनांकः 24/08/2015.

# आदेश

भारत सरकार ने रूई वर्ष 2015-16 (अक्तूबर - सितंबर) के लिए कपास की दो प्रमुख किस्मों, अर्थात, उचित (फेअर) औसत गुणवत्ता की कपास की नई फसल के मध्यम लम्बाई के रेशे वाले कपास (मिडियम स्टेपल लेन्थ कॉटन) तथा लम्बे रेशे की लम्बाई के कपास ( लाँग स्टेपल लेन्थ कॉटन), के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। मध्यम लंम्बाई के रेशे वाले कपास का समर्थन मूल्य रूपये 3800/- प्रति क्विंटल और लम्बी लम्बाई की रेशे वाले कपास के लिए समर्थन मूल्य रूपये 4100/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।

2. उपरोक्त दो प्रमुख कपास के समर्थन मूल्यों के आधार पर एवं गुणवत्ता में अंतर, सामान्य मूल्य में अंतर एवं अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखतें हुए स्वच्छ औसत गुणवत्ता वाली (एफएक्यू) कपास की अन्य श्रेणियों का समर्थन मूल्य कपास वर्ष 2015-16 (अक्तूबर - सितंबर) के लिए निम्नानुसार हैः-

(₹/क्विंटल)

| क्र.सं. | कपास की किस्में | फायबर के गुणवत्ता के मानक | | वर्ष 2015-16 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (न्यू.स.मू.) | व्यापार जगत द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किस्मों के सूचक नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रेशे की मूल लम्बाई (2.5% विस्तार लम्बाई)मि.मी.में | माईक्रोनेयर मान | | |
| (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) |
| | छोटे रेशे (शार्ट स्टेपल ) (20 मि मी या उससे कम ) | | | | |
| 1 | | - | 7.0-8.0 | 3300 | आसाम कोमिला |
| 2 | | - | 6.8-7.2 | 3300 | बंगाल देशी |
| | मध्यम रेशे ( मीडियम स्टेपल) (20.5 मि मी - 24.5 मि मी ) | | | | |
| 3 | | 21.5-22.5 | 4.8-5.8 | 3550 | जयधर |
| 4 | | 21.5-23.5 | 4.2-6.0 | 3600 | वी-797/ जी कॉट. 13/जी.कॉट.21 |
| 5 | | 23.5-24.5 | 3.4-5.5 | 3650 | एके/वाय-1 ( महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश)/एमसीयू-7 (तमिलनाडू)/ एस वी पी आर-2 (तमिलनाडू)/ पीसीओ-2 ( आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक)/ के -11 ( तमि. ) |
| | मध्यम लम्बाई के रेशे (मिडियम लॉंग स्टेपल ) ( 25.0 मिमी - 27.0 मिमी ) | | | | |
| 6 | | 24.5-25.5 | 4.3-5.1 | 3800 | जे-34 (राजस्थान) |
| 7 | | 26.0-26.5 | 3.4-4.9 | 3900 | एलआरए-5166/केसी-2 (तमिलनाडू) |
| 8 | | 26.5-27.0 | 3.8-4.8 | 3950 | एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड |
| | लंबे रेशे (लॉंग स्टैपल) ( 27.5 मिमी - 32.0 मिमी ) | | | | |
| 9 | | 27.5-28.5 | 4.0-4.8 | 4000 | एफ-414/एच-777/जे-34 हायब्रिड |
| 10 | | 27.5-28.5 | 3.5-4.7 | 4000 | एच-4/एच-6/एमईसीएच/आरसी एच-2 |
| 11 | | 27.5-29.0 | 3.6-4.8 | 4050 | शंकर-6/10 |
| 12 | | 29.5-30.5 | 3.5-4.3 | 4100 | बन्नी / ब्रम्हा |
| | अतिरिक्त लंबे रेशे (एक्स्ट्रा लॉंग स्टैपल) ( 32.5 मिमी तथा उससे ज्यादा) | | | | |
| 13 | | 32.5-33.5 | 3.2-4.3 | 4300 | एमसीयू-5/सुरभि |
| 14 | | 34.0-36.0 | 3.0-3.5 | 4500 | डीसीएच-32 |
| 15 | | 37.0-39.0 | 3.2-3.6 | 5300 | सुविन |

(i) यदि पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी में अनु क्र. 6 पर उल्लिखित 24.5 मिमी - 25.5 मिमी की स्टेपल लम्बाई का माइक्रोनेयर मूल्य 3.8 से 4.2 की रेंज में हो उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त रूपये 30/- प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यदि माईक्रोनेयर 3.8 से कम अथवा 5.1 से ज्यादा हो तो उसके प्रत्येक 0.2 माईक्रोनेयर मान के लिए रूपये 15/- प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होगा।

(ii) यदि पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी में अनु क्र.9 से 15 पर स्टैपल लम्बाई के माइक्रोनेयर मूल्य कॉलम (IV) के माईक्रोनेयर मान रेंज के बाहर हो तो प्रत्येक 0.2 माइक्रोनेयर मान के लिए रूपये 25/- प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दिया जाएगा।

(iii) पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी के अनु क्र. 13 से 15 तक उल्लिखित अतिरिक्त लम्बे स्टेपल कॉटन का न्यूनतम स्वीकार्य माइक्रोनेयर मान 2.8 होगा। उपरोक्त सारणी के अनु क्र. 1 से 12 पर उल्लिखित कपास की अन्य किस्मों का न्यूनतम स्वीकार्य माइक्रोनेयर मान 3.0 होगा।

(iv) पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित सारणी के स्तंभ सं. (VI) में उल्लिखित किस्मों के नाम केवल संबंधित विशिष्ट लम्बाई समूह के सूचक हैं।

(v) कपास में न्यूनतम नमी (आद्रता) की मात्रा 8% रहेगी। वे किसान जो 8% से ज्यादा किन्तु 12% से कम नमी के कपास का विक्रय कर रहे हैं वे अनुपातिक तौर पर कम मूल्य प्राप्त करेंगे, जबकि यदि उत्पाद में नमी की मात्रा 8% से कम होगी तो वे अनुपातिक प्रोत्साहन प्राप्त करेंगे। विनिर्दिष्ट प्रापण अभिकरणों द्वारा मूल्य समर्थन प्रकार्य करने के उद्देश से, 12% से अधिक नमी की अनुमति नहीं हैं। प्रोत्साहन देना अथवा न देना आनुपातिक आधार पर कपास के प्रति क्विंटल दर के प्रोरेटा आधार पर होगा।

(vi) प्रापण अभिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि माइक्रोनेयर तथा अन्य गुणवत्ता प्राचलों का बिक्री केन्द्रों को आवश्यक सामग्री / सुविधाएं उपलब्ध करवा कर मूल्यांकन, वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है।

कपास के प्रापण के लिए भारतीय कपास निगम एवं राष्ट्रीय कृषि को- ऑपरेटिव फेडरेशन (नाफेड) प्रमुख अभिकरण (नोडल एजेंसी) बने रहेंगे।

(किरण सोनी गुप्ता)
वस्त्र आयुक्त

1. श्रीमती अनु गर्ग,
संयुक्त सचिव,
भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 107.

2. डा. अशोक विशनदास ,
अध्यक्ष, कृषी लागत और मूल्य आयोग,
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001.

3. श्री. डी. एस. रघु
सदस्य (गैर- सरकारी), कृषी लागत और मूल्य आयोग,
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001.

4. श्री. के. प्रधान
सदस्य (गैर- सरकारी), कृषी लागत और मूल्य आयोग,
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001.

5. डा. शैलजा शर्मा
सदस्य सचिव, कृषी लागत और मूल्य आयोग,
भारत सरकार, कृषि मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली- 110 001.

6. आर्थिकी एवं सांख्यिकी सलाहकार,
कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहयोग विभाग),
आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस),
कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली -110 001.

7. श्री. रवि सिंह
सहायक आर्थिक सलाहकार,
कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहयोग विभाग),
आर्थिकी एवं सांख्यिकी निदेशालय,
कृषि भवन, भारत सरकार,
नई दिल्ली -110 001. **उनके पत्र सं. 6-3/2015- एफईएस-ईएस (खण्ड-दो) दिनांक 23.06.2015 के संदर्भ में**

8. श्री आर के वशिष्ट,
अवर सचिव,
भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली -110 107. **उनके पत्र सं.** 1/1/2015 - **रुई दिनांक** 02.07.2015 **के संदर्भ में**

9. श्री. बी. के. मिश्रा,
अध्यक्ष -सह-प्रबंध-निदेशक,
भारतीय कपास निगम, प्लॉट नं. 3/A, सेक्टर नं. 10,
सी.बी.डी. बेलापूर, नवी-मुंबई- 400 614.

10. श्री राम सुभाग सिंह,
प्रबंध निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
सिध्दार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, रिंग रोड,
नई दिल्ली -110 014.

11. निदेशक ,
कपास अनुसंधान का केन्द्रीय संस्थान,
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद),
पो.बै. सं.2, शंकर नगर, पो. ऑफिस,
नागपूर -440 010.

12. निदेशक,
केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान,
(सी आय आर सी ओ टी)
एडनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई -400 019.

13. निदेशक ,
रूई विकास निदेशालय,
(कृषि एवं सहकारिता विभाग),
कृषि मंत्रालय, भूमी सरर्वेक्षण भवन सेन्टर पाइंट,
स्कूल सेमिनारी हिल्स,
कटोल रोड, नागपूर-440013

14. सचिव,
सहकार एवं विपणन,
तीसरी मंजिल, मंत्रालय,
महाराष्ट्र सरकार,
मुंबई -400 001.

15. संयुक्त निदेशक,
कृषि मूल्य समिति सेल, कृषि एवं ए.डी.एफ. विभाग,
महाराष्ट्र सरकार,
जोरास्टिर्यन एसोसिएशन बिल्डिंग,
दूसरी मंजिल, 16 हर्निमन सर्कल,
फोर्ट, मुंबई -400 023.

16. सचिव,
कृषि विभाग,
पंजाब,हरयाना,राजस्थान, गुजरात,महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगना,
कर्नाटक,तमिलनाडू, उडिसा और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सरकार

17. प्रबंध निदेशक,
राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ,
पंजाब,हरयाना,राजस्थान,गुजरात,महाराष्ट्र,मध्यप्रदेश,आंध्रप्रदेश,तेलंगना,
कर्नाटक,तमिलनाडू,उडिसा और मध्य प्रदेश निर्यात परिषद, आन्ध्र प्रदेश गिरिजन को-ऑपरेटीव फेडरेशन, पंजाब स्पीनफीड

18. अध्यक्ष,
भारतीय कपास संघ,
2 री मंजिल, कॉटन एक्सेंज बिल्डिंग,
कॉटनग्रीन, मुंबई -400 033.

19. महासचिव,
भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीटी),
छटी मंजील, नरेन मंजिल,
23,बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली -110 001.

20. अध्यक्ष,
नॉर्थ इंडिया कॉटन एसोसिएशन,
पो.बॉ.नं. 79, नई बस्ती, गली नं. 6
भटिंडा, पंजाब 151 001.

21. मानद सचिव,
भारतीय कपास संघ (ICF),
पो.बै.नं.3310,
477 कामराजर रोड,
उपीलीपालायम पोष्ट,
कोईमतूर- 641015.

22. वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
मुंबई, कोलकाता, बैंगलूरु, गुंतुर, इंदौर,नोएडा, अमृतसर,
अहमदाबाद तथा कोयम्बतूर.

(ओ.एम. प्रभाकरन)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त (रूई)